| | |
|---|---|
| Governments or Union Territory or recognized research institute or University/ public sector undertaking or semi Government or autonomous of statutory organisation;-<br><br>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;<br><br>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 (Rs 25500-81100) in pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and<br><br>possessing the educational qualifications and experience as prescribed under column 7<br><br>**Note 1:** Only officers of the Central Government or State Governments or Union Territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis.<br>**Note 2:** The Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. | 2. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute Kanpur. -Member<br>3. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur- Member |

| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted. |
|---|
| (13) |
| Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary. |

[F.No. A-12018/18/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 242.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, आचार्य और सहायक आचार्य, समूह "क" पद भर्ती नियम, 2016, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, आचार्य कार्बनिक रसायन, सहायक आचार्य कार्बनिक रसायन, और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन)

भर्ती नियम, 2007 और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (अनुसंधान सहायक – कार्बनिक रसायन) भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में आचार्य (कार्बनिक रसायन), सहायक आचार्य (कार्बनिक रसायन), तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) और अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन) के पदों भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर आचार्य (कार्बनिक रसायन), सहायक आचार्य (कार्बनिक रसायन), तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) और अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की हा।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. आचार्य (कार्बनिक रसायन) | 01*(2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 13 (1,23,100-2,15,900 रुपए) |

| चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | **मिश्रित पद्धति:**<br>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) |

| प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है |
|---|---|
| (11) | (12) |
| **प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित):**<br>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र राज्य प्रशासन अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा या कानूनी संगठन के अधिकारी, जो<br>(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा<br>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में स्तर 12 (वेतन मैट्रिक्स 78,800-2,09,200 रुपए) में अथवा समतुल्य स्तर में नियमित आधार पर उक्त ग्रेड में नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा<br>(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में स्तर 11 (वेतन मैट्रिक्स 67,700-2,08,700 रुपए) में अथवा समतुल्य स्तर में नियमित आधार पर उक्त ग्रेड में नियुक्ति के बाद दस वर्ष की सेवा की हो।<br>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:<br>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कार्बनिक रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्नपत्र के रूप में कार्बनिक रसायन के साथ रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और<br>(ii) शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात कार्बनिक रसायन में अनुसंधान कार्य का बारह वर्ष का अनुभव अथवा शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के बाद किसी चीनी कारखाने अथवा डिस्टीलरी अथवा अन्य सम्बद्ध औद्योगिक यूनिट में बारह वर्ष का कार्य अनुभव अथवा शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के बाद डिग्री स्तर पर कार्बनिक रसायन में बारह वर्ष का शिक्षण का अनुभव; अथवा<br>(ख) (i) शैक्षणिक अर्हता अर्थात कार्बनिक रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्नपत्र के रूप में कार्बनिक रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट; और | लागू नहीं होता |

| | |
|---|---|
| (ii) किसी चीनी कारखाने अथवा डिस्टीलरी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में पांच वर्ष का कार्य करने का अनुभव; अथवा डिग्री स्तर पर कार्बनिक रसायन में पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव ।<br>**टिप्पण 1:** आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया जाएगा।<br>**टिप्पण 2:** विभागीय सहायक आचार्य (कार्बनिक रसायन) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 रुपए – 2,08,700 रुपए) में दस वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु उसका चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।<br>**टिप्पण 3:** केन्द्रीय सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि समान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |

| भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|
| (13) |
| संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 2. सहायक आचार्य (कार्बनिक रसायन) | 01*(2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 11 (67,700 - 2,08,700 रुपए) |

| (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | **मिश्रित पद्धति:**<br>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति(अल्पावधिक संविदा सहित) |

| (11) | (12) |
|---|---|
| **प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित):**<br>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त शासी निकायों अथवा कानूनी संगठनों के वे अधिकारी:<br>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;<br>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100 रुपए – 1,77,500 रुपए) अथवा समतुल्य स्तर में मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा | लागू नहीं होता |

| | |
|---|---|
| (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात:-<br><br>आवश्यक:<br><br>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कार्बनिक रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्नपत्र के रूप में कार्बनिक रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और<br><br>(ii) कार्बनिक रसायन में अनुसंधान कार्य का पांच वर्ष का अनुभव अथवा चीनी कारखाने अथवा डिस्टीलरी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में पांच वर्ष का कार्य करने का अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर कार्बनिक रसायन में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव; अथवा<br><br>(ख) (i) शैक्षणिक आवश्यक अर्हताएँ अर्थात कृषि रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्नपत्र के रूप में कार्बनिक रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट; और<br><br>(ii) किसी चीनी कारखाने अथवा डिस्टीलरी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव; अथवा डिग्री स्तर पर कार्बनिक रसायन में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।<br><br>**टिप्पण 1:** आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं को प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया जाएगा।<br><br>**टिप्पण 2:** विभागीय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100 रुपए – 1,77,500 रुपए) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी प्रतिनियुक्ति हेतु बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।<br><br>**टिप्पण 3:** केन्द्रीय सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि समान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |

| (13) |
|---|
| संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 3. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) | 01*(2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “क” राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 10 (56,100 - 1,77,500 रुपए) |

| (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों हेतु दो वर्ष | **मिश्रित पद्धति:**<br>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति(अल्पावधिक संविदा सहित) |

| (11) | (12) |
|---|---|
| **प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित):**<br>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त शासी निकायों अथवा कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी:<br>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;<br>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600 – 1,51,100 रुपए) अथवा समतुल्य स्तर में मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा<br>(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900 – 1,42,400 रुपए) अथवा समतुल्य स्तर में मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; अथवा<br>(iv) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400 – 1,12,400 रुपए) अथवा समतुल्य स्तर में मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; और<br>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात:-<br>**आवश्यक:**<br>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कार्बनिक रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्नपत्र के रूप में कार्बनिक रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और<br>(ii) कार्बनिक रसायन में अनुसंधान कार्य का | **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए):**<br>1. संयुक्त सचिव (शर्करा), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय -अध्यक्ष<br>2. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य<br>3. निदेशक/उप सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय -सदस्य |

| | |
|---|---|
| तीन वर्ष का अनुभव अथवा चीनी कारखाने अथवा डिस्टिलरी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर कार्बनिक रसायन में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।<br>**टिप्पण 1**: आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया जाएगा।<br>वांछनीय:<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट।<br>**टिप्पण 2:** विभागीय अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400 रुपए – 1,12,400 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी प्रतिनियुक्ति हेतु बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।<br>**टिप्पण 3:** केन्द्रीय सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि समान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |

| (13) |
|---|
| संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 4.अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन) | 01*(2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | स्तर-6<br>(35,400 - 1,12,400 रुपए) |

| (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक नहीं।<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) | **आवश्यक:-**<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्बनिक रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक विषय के रूप में कार्बनिक रसायन के साथ रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर |

| | | |
|---|---|---|
| | **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभियार्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ( न कि वह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभियार्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।) | डिग्री।<br>**टिप्पण-1** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षणिक अर्हता कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br>**टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | **सीधी भर्ती द्वारा।**<br>नोट : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश पर होने अथवा अन्य परिस्थितियों में 01 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने की स्थिति में होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, जो,-<br>(क) (i) मूल सवंर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों,: अथवा<br>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300) में नियमित आधार पर नियुक्ति किए जाने के बाद ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; और<br>(ख) सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।<br>**नोट 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य-सवंर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणात: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**नोट 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| (11) | (12) |
|---|---|
| लागू नहीं होता | **विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने हेतु), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी**:<br>1 निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष<br>2. सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य<br>3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी , राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य |

| (13) |
|---|
| संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. ए-12018/3/2018-एसए]

राजीव महेन्द्रू, उप सचिव

New Delhi, the 25th July, 2019

**G.S.R. 242.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Professor and Assistant Professor of Organic chemistry, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2016, the National Sugar Institute, Kanpur, Professor of Organic Chemistry, Assistant Professor of Organic Chemistry and Junior Scientific Officer (Organic Chemistry) Recruitment Rules, 2007 and the National Sugar Institute (Research Assistant-Organic Chemistry) Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Organic Chemistry), Assistant Professor (Organic Chemistry), Junior Scientific Officer (Organic Chemistry) and Research Assistant (Organic Chemistry) in the National Sugar Institute, Kanpur; under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **(1) Short title and commencement .—** These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Organic chemistry), Assistant Professor (Organic chemistry), Junior Scientific Officer (Organic chemistry) and Research Assistant (Organic chemistry) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix .—**The number of posts, their classification and level in the pay matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in pay matrix |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Professor (Organic Chemistry). | * 01 (2019)<br>* Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', ,Gazetted, Non-Ministerial. | level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900). |

| Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | **Composite method:**<br>Promotion / deputation (including short-term contract). |

| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made | If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition |
|---|---|
| (11) | (12) |
| **Promotion/deputation (including short-term contract).**<br>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised research institutes or Universities or public sectors undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisation,-<br>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(i) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or<br>(ii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing the educational qualifications and experience as under:-<br>**Essential:**<br>(A) (i) Master's degree in Organic Chemistry or Master's Degree in Chemistry with Organic Chemistry as one of the papers from a recognised University or institute; and<br>(ii) twelve years post-qualification experience of research work in Organic Chemistry or twelve years working post-qualification experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or twelve years post-qualification teaching experience at degree level in Organic chemistry; or<br>(B) (i) Doctorate degree in Chemistry from a recognised University or institute with essential qualification viz; Master's degree in Organic Chemistry or Master's Degree in Chemistry with Organic Chemistry as one of the papers from a recognised University or Institute; and<br>(ii) five years working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or five years teaching experience at degree level in Organic chemistry. | Not applicable |

| | |
|---|---|
| **Note 1.-** The experience shall be considered after attaining the essential educational qualifications.<br>**Note 2.-** Departmental Assistant Professor (Organic Chemistry) with ten years' regular service in Level- 11 (Rs. 67,700 – 2,08,700) in the pay matrix shall also be considered along-with deputationists. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.<br>**Note 3.-** The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.<br>**Note 4.-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. | |

| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted. |
|---|
| (13) |
| Consultation with Union Public Service Commission is necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 2. Assistant Professor (Organic Chemistry). | * 01 (2019)<br>* Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level 11 (Rs.67,700-2,08,700). |

| (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Composite method:<br>Promotion/ deputation (including short-term contract) |

| (11) | (12) |
|---|---|
| Promotion/deputation (including short-term contract).<br>Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administrations or recognized research institutes or Universities or public sectors undertakings or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,-<br>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(i) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing the educational qualifications and experience as under:- | Not applicable. |

| | |
|---|---|
| Essential:<br>(A) (i) Master's degree in Organic Chemistry or Master's Degree in Chemistry with Organic Chemistry as one of the papers from a recognised University or Institute; and<br>(ii) five years' experience of research work in Organic Chemistry or five years working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or five years teaching experience at degree level in Organic chemistry;.<br>or<br>(B) (i) Doctorate degree in Chemistry from a recognised University or institute with essential qualification viz; Master's degree in Organic Chemistry or Master's Degree in Chemistry with Organic Chemistry as one of the papers from a recognised University or Institute; and<br>(ii) three years working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or three years teaching experience at degree level in Organic chemistry.<br>**Note 1.-** The experience shall be considered after attaining the essential educational qualifications.<br>**Note 2.-** Departmental Junior Scientific Officers ( Organic Chemistry) with five years regular service in Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix shall also be considered along-with outsiders for appointment on deputation and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.<br>**Note 3.-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.<br>**Note 4.-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. | |

| (13) |
|---|
| Consultation with Union Public Service Commission is necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 3. Junior Scientific Officer (Organic Chemistry*)*. | * 01 (2019)<br>* Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level 10 (Rs.56,100-1,77,500). |

| (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| Not applicable | Two years for promotees | **Composite method:**<br>Promotion/ deputation (including short-term contract) |

| (11) | (12) |
|---|---|
| **Promotion/ deputation (including short-term contract).**<br>Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administrations or recognised research institutes or Universities or public sectors undertakings or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisation.-<br>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-8 (Rs. 47,600 – 1,51,100) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or<br>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7 (Rs. 44,900 – 1,42,400) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or<br>(iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-6 (Rs. 35,400 – 1,12,400) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing the educational qualifications and experience as under:-<br>Essential:<br>(i) Master's degree in Organic Chemistry or Master's Degree in Chemistry with Organic Chemistry as one of the papers from a recognised University or institute; and<br>(ii) three years' experience of research work in Organic Chemistry or three years working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or three years teaching experience at degree level in Organic Chemistry.<br>**Note.-** The experience shall be considered after the essential educational qualifications.<br>**Desirable:**<br>Doctorate degree in Chemistry from a recognised University or Institute.<br>**Note 1.-** Departmental Research Assistant (Organic Chemistry) in the Level-6 (Rs. 35,400 – 1,12,400) with eight years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders for appointment on deputation and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.<br>**Note 2.-** The Period of deputation (including short-term contract) including the period of | **Group 'A' Departmental Promotion Committed (for considering confirmation):**<br>1. Joint Secretary (Sugar) Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. -Chairperson<br>2. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member<br>3. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution - Member |

| | |
|---|---|
| deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 3.-**The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. | |

| (13) |
|---|
| Consultation with Union Public Service Commission is necessary |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 4. Research Assistant (Organic Chemistry*)* | * 01 (2019)<br>* Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level 6 (Rs.35,400-1,12,400) |

| (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|
| Not applicable | Not exceeding thirty years<br>(Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | **Essential:**<br>Master's degree in Organic Chemistry or Master's Degree in Chemistry with Organic Chemistry as one of the papers from a recognised University or institute.<br>**Note 1**.- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2.-** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| Not applicable | Two years. | By direct recruitment.<br>**Note:** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government or State Governments or Union territories Administrations,-<br>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with six years service in the grade rendered after |

| | | |
|---|---|---|
| | | appointment thereto on a regular basis in the level 5 (Rs 29200-92300) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).<br>**Note 1.-** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. |

| (11) | (12) |
|---|---|
| Not applicable | **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of:-**<br>1. Director, National Sugar Institute Kanpur. - Chairperson<br>2. . Assistant Professor or an officer of equivalent Rank, National Sugar Institute, Kanpur. -Member<br>3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur. -Member |

| (13) |
|---|
| Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

[F.No. A-12018/3/2018-SA]
RAJIV MAHENDRU,Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 243.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, ईख अधिकारी और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रासायनिक इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध ईख अधिकारी के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में ईख अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (ईख अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य शैक्षिक अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।